

कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कन्नौज

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या

क्रम सं०	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1.	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत और कर्तव्य	नलकूप खण्ड कन्नौज के अन्तर्गत जनपद कन्नौज के राजकीय नलकूपों एवं जसोदा पम्प कैनाल का अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजनाओं के अन्तर्गत आबटित नवीन नलकूपों/पुनः निर्माण के नलकूपों के निर्माण का कार्य।
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकासी अभियन्ता 2. सहायक अभियन्ता 1/2/3 3. खण्डीय लेखाधिकारी 4. अवर-अभियन्ता 5. अनुसचिवीय अधिष्ठान 6. राजस्व अधिष्ठान 7. ड्राफ्ट मैन 8. चतुर्थ श्रेणी 	<p>खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यों का नियन्त्रण।</p> <p>उपखण्ड के अन्तर्गत आबटित कार्यों का सम्पादन।</p> <p>वित्तीय हस्तपुस्तिका का खण्ड- 6 के पैरा 98 में निहित मुख्यतः लेखाओं का संग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जांचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यों का सम्पादन।</p> <p>कार्यस्थल पर कार्यों को मानकों एवं गुणवत्ता के साथ कराना।</p> <p>कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रखरखाब।</p> <p>राजस्व सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन एवं सिंचाई के रिकार्डों को बदलाव, रखरखाब पत्रावली बनवाना इत्यादि।</p> <p>प्राक्कलन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन एवं योजनाओं का प्रेषण।</p> <p>अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।</p>
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	उपखण्ड में कराये गये कार्यों का निरीक्षण तथा कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	नलकूप खण्ड, कन्नौज के राजकीय नलकूपों के द्वारा कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराना एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान करना। उपखण्डीय अधिकारियों/अवर-अभियन्ताओं/जिलेदारों को कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण करना।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ०प्र० राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मु०अ०ग०/अधी०अभि० द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रखरखाब नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहा० अभियन्ताओं को तदनुसार निर्देशित करना।
6.	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित अभिलेखों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्राविधान के अनुसार कराया जाना।
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	खण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को नलकूप भवन कन्नौज प्रागंग सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है। जिसके अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श उपरान्त समाधान किया जाता है। एवं तहसील मुआवजों पर प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है। जिनमें कृषकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
8.	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बात में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्ति तक जनता की पहुँच होगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय/दूरभाष - 0564- 235197 श्री मो० शमीम अहमद सिद्दीकी (अधि०अभि०) सी०यू०जी० नं०- 9454415460 श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (सहा०अभि०) सी०यू०जी० नं०- 9454415458

		श्री जी०सी० चतुर्वेदी (अवर-अभि०) श्री आर०पी० कमल (अवर-अभि०) श्री आर०डी० शर्मा (अवर-अभि०) श्री इन्द्रजीत कटियार (अवर-अभि०) श्री जगदीश चन्द्र कन्नौजिया (अवर-अभि०) श्री अवधेश कुमार शुक्ला (अवर-अभि०) श्री आर०पी० सिंह (अवर-अभि०) श्री दयानन्द (अवर-अभि०) श्री गजेन्द्र पाल सिंह (अवर-अभि०)	सी०यू०जी० नं०- 9454415459 सी०यू०जी० नं०- 9454415462 सी०यू०जी० नं०- 9454415463 सी०यू०जी० नं०- 9454415464 सी०यू०जी० नं०- 9454415465 सी०यू०जी० नं०- 9454415467 सी०यू०जी० नं०- 9454415466 सी०यू०जी० नं०- 9454415468 सी०यू०जी० नं०- 9454415461
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपलब्ध प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।	
		पद	वेतनमान
		पद	वेतनमान
		अधिशासी अभियन्ता	5200-20200
		सहायक अभियन्ता	5200-20200
		अवर-अभियन्ता	5200-20200
		लेखाधिकारी	5200-20200
		वरिष्ठ सहायक	4440-7440
		प्रारूपकार	5200-20200
		वरिष्ठ लिपिक	5200-20200
		कनिष्ठ लिपिक	5200-20200
		सर्वेयर	5200-20200
		चालक	5200-20200
		जिलेदार	5200-20200
		सींचपर्यवेक्षक	5200-20200
		मुन्शी / सींचपाल	5200-20200
		स्टोर मुन्शी	5200-20200
		युनिट मुन्शी /	4440-7440
		मेट / विद्युत कार	
		रनर / चपरासी / क्लीनर	4440-7440
		/ चौकीदार / वर्कन्दाज /	
		स्वीपर।	
11.	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये सविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभीकरण को आर्बटित बजट।	अनुदान सं० 95 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता, विद्युत, दूरभाष, गाड़ियों का अनुरक्षण आदि मदों में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में तैनात वित्त नियन्त्रक द्वारा बजट आर्बटित होता है तथा नलकूपों के अनुरक्षण के लिए वित्तीय अनुरक्षण ए मरम्मत आदि अनुदान सं० 96 के अन्तर्गत बजट आर्बटित होता है। तथा ये विभिन्न योजनाओं हेतु 4702 के अन्तर्गत बजट आर्बटित होता है।	
12.	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति, जिसमें आर्बटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहकों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।	
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।	
14.	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके धारित हों।	विभाग में कम्प्यूटर, फ़ैक्स उपलब्ध है। इन्टरनेट अभी चालू स्थिति में नहीं है।	
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घण्टे सम्मिलित हैं।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।	
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनपद कन्नौज सिंचाई विभाग हेतु जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी निम्नवत हैं। 1. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (सहायक अभियन्ता)- सूचना अधिकारी	

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, कन्नौज